न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 11/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2025/110

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री हरीराम पुत्र भंवरलाल,जाति–घांची निवासी–मेड़तासिटी,तहसील–मेड़ता।		1. श्री ढगलाराम पुत्र भंवरलाल,जाति–घांची निवासी–दामावतों की नई गली,मेड़तासिटी हाल तेलियों का बास नोहरों का धड़ा मेड़तासिटी,तहसील–मेड़ता। 2. श्रीमती पूनम हाल सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री विकास सोनी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राजपेरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां।

:: आदेश :: **दिनांकः–30.07.2025**

1– प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), मेड़ता में विचाराधीन प्रकरण हरीराम बनाम ढगलाराम दावा मुकदमा नम्बर 151/2012 स्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

2– प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में मुख्य रूप से यह तथ्य अंकित किये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता में प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी की काश्त व कब्जा सुद खातेदारी सुदा जमीन खेत खसरा नम्बर 697 रकबा 0.5800 हैं0 व खसरा नम्बर 699 रकबा 2.12 हैक्टयेर वाके मौजा लांछ की ढाणी,तहसील–मेड़ता में स्थित हैं। प्रतिवादी के दिल में बद्नियति आजाने से वह बेजा लोभ में पड़ा हुआ हैं। वादी की उक्त भूमि पर लाठी के जोर पर दखलंदाजी करना शुरू कर दिया,जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी बदमाश झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति हैं तथा दिनांक 30.06.2012 को प्रतिवादी ने वादी को ऐलानियां धमकी दी कि वह वादी को उक्त भूमि से लाठी के जोर पर बेदंखल करके रहेगा, जिससे उक्त वाद पेश करना पड़ा व प्रतिवादी को वादी के कब्जा काश्त खातेदारी में दखलंदाजी करने आदि से रोकने वगेरा की इस्तदुआ चाही गयी ।

प्रतिवादी ढगलाराम ने प्रार्थी/वादी के वाद का एकदम गलत जबाब पेश कर उक्त भूमि को संयुक्त परिवार की आय से खरीद की होना बताते हुऐ अपना हक हिस्सा होना जाहिर करते हुऐ वाद व आवेदन खारिज करने का कथन किया हैं।

प्रकरण साक्ष्य वादी में विचाराधीन हैं। वादग्रस्त भूमि वादी की स्वःअर्जित अकेले के कब्जा सुद खातेदारी की होना,मौके की स्थिति व राजस्व रेकर्ड से साबित हैं इसके बावजूद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता के पीठासीन अधिकारी श्रीमती पूनम स्थानीय राजनेता के दबाव में आकर व प्रतिवादी के अनुचित दबाब व प्रभाव में आकर मिलीभगती करते हुए वाद व आवेदन को खारिज करने पर आमादा हैं,ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादी को पीठासीन अधिकारी से इस प्रकरण में न्याय मिलने की

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

उम्मीद नहीं होने से उक्त पत्रावली को सुनवाई व निर्णय हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अथवा उपखण्ड अधिकारी, नागौर के यहां मुन्तकिल किया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि उपखण्ड अधिकारी पूर्णतया प्रतिवादी ढगलाराम के दबाब व प्रभाव में हैं तथा न्यायालय में अप्रत्यक्ष रूप से वादी का वाद खारिज करने का ऐलान भी कर चुके हैं तथा प्रतिवादी ढगलाराम रोजाना उपखण्ड अधिकारी जी के सम्पर्क में है,वादी के साथ पहले भी इन्होंने मिलकर अन्याय किया हैं व अब उक्त वाद को खारिज करवाने पर आमादा हैं,जो पत्रावली स्वयं बोलती हैं ऐसी स्थिति में न्याय के सिद्वान्तों को ध्यान में रखते हुए उक्त पत्रावली को मुन्तकिल किया जाना आवश्यक हैं।

चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 धनाढय व राजनैतिक रसूखात रखने वाला हैं जिसका पीठासीन अधिकारी के निवास स्थान व चैम्बर में लगातार आना जाना हैं व हर वक्त उक्त पत्रावली के बारे में चर्चा की जाती रही हैं इतना ही नहीं उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता ने वादी के विरूद्व प्रतिवादी ढगलाराम द्वारा पेश किया गया एक अन्य वाद संख्या 230/2012 बअनवान ढगलाराम बनाम भंवरलाल को भी गलत रूप से स्वीकार कर मुझ प्रार्थी हरीराम के विरूद्व दिनांक 01.07.2024 को निर्णय पारित कर दिया हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ढगलाराम खुले ऐलानियां धमकियां दे रहा हैं व कहता हैं कि उपखण्ड अधिकारी से जैसा मैं कहूँगा वैसा ही वो करेगें,पहले भी मैने मेरा दावा स्वीकार करवा लिया हैं,अब तुम्हारा दावा जल्द ही खारिज करवा कर रहूँगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार केवल न्याय करना ही आवश्यक नहीं हैं बल्कि पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवाद का न्याय पूर्ण निस्तारण होता दिखना भी आवश्यक होता हैं,जबकि हस्तगत पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट हैं कि सारी मिली भगती से कार्यवाही हो रही हैं। विधिक प्रकिया की पालना नहीं हो रही हैं। इस कारण मेरिट पर निर्णय करने हेतु पत्रावली अन्यत्र न्यायालय में मुन्तंकिल किया जाना आवश्यक हैं। अतः आवेदन मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन हैं कि राजस्व वाद संख्या 151/2012 अनवान् हरिराम बनाम ढगलाराम को अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु मुन्तकिल किया जावें।

3– अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिऐ अभिभाषक दिनांक 03.06.2025 को जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह तथ्य प्रकट किये हैं कि प्रार्थी ने गलत आधारो पर अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया था जिसका विस्तृत जबाब अप्रार्थी ढगलाराम की ओर से पेश किया गया। राजस्व वाद संख्या 151/2012 वादी हरिराम बनाम ढगलाराम में अधीनस्थ न्यायालय में तनकी कायम किये जाने के बाद में शहादत वादी में चल रहा हैं,प्रार्थी को साक्ष्य पेश करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये है व अन्तिम अवसर भी प्रदान किये गये थे मगर वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा का शपथ–पत्र तक पेश नहीं किया हैं। वादी अपनी साक्ष्य पेश करने लिए जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहा हैं। न्यायालय के अन्तिम अवसर देने के बाद में भी प्रार्थी ने अपनी साक्ष्य पेश नहीं की है। प्रकरण सन् 2012 से लम्बित हैं व वादी की साक्ष्य में दिनांक 17.02.2024 से चल रहा हैं वादी मुकदमा का निस्तारण नहीं करवाना चाहता हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी के द्वारा पेश वाद पुराने प्रकरणों में से एक प्रकरण होने से सात दिन का समय दिया जाना चाहिए मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक माह से अधिक का समय दिया जा रहा हैं।

जबाब प्रार्थना–पत्र में यह भी निवेदन किया गया हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 धनाढ्य व्यक्ति व राजनैतिक रसूखत रखने वाला नहीं हैं बल्कि साधारण किसान परिवार से हैं। अप्रार्थी संख्या 1 की पीठासीन अधिकारी के निवास स्थान व चेम्बर में लगातार आने व जाने की बात गलत हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पेश वाद संख्या 230/2012 वादी ढगलाराम बनाम प्रतिवादी भंवरलाल बाद शहादत मेरिट के आधार पर डिकी हुआ था जिसकी अपील प्रार्थी ने श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी,नागौर के समक्ष पेश की जो दिनांक 07.04.2025 को खारिज हो गई थी। प्रार्थी के द्वारा पेश राजस्व वाद संख्या 151/2012 वादी हरिराम बनाम प्रतिवादी ढगलाराम व अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पेश वाद संख्या 230/2012 एक ही खसरान के सम्बन्ध में होने से एक बार किसी न्यायालय की डिकी दुसरे वाद को प्रभावित करती हैं,

कलक्टर नागौर

इसलिए प्रार्थी ने गलत आधारों पर यह प्रार्थना–पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पक्ष में निर्णय करवाने की कोई ऐलानिया धमकी नहीं दी गई हैं बल्कि प्रार्थी ने सारे ही तथ्य कपोलकल्पित लिखे हैं। अप्रार्थीगण संख्या'1 ने पीठासीन अधिकारी से कभी सम्पर्क तक नहीं किया हैं।

जबाब प्रार्थना–पत्र में यह भी अंकित किया हैं कि उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता अप्रार्थी संख्या 1 के दबाब व प्रभाव में होने की बात गलत हैं। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के द्वारा पेश वाद की पेशी पर नहीं गया था बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 के वकील ही पेशी पर उपस्थित हुए हैं। उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता के न्यायालय में प्रार्थी के द्वारा पेश वाद 10 वर्ष के पुराने प्रकरणों में एक प्रकरण हैं वादी अपनी शहादत नहीं करवा रहा हैं,न्यायालय ने भी वादी को मौखिक रूप से आयन्दा पेशी पर साक्ष्य पेश नहीं करने पर स्वतः बन्द करने का कहा गया था इस वजह से प्रार्थी ने गलत आधारों पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं। वैसे अभी प्रार्थी का वाद साक्ष्य वादी में नियत हैं व वादी की शहादत पेश होने के बाद में अप्रार्थी संख्या 1 की साक्ष्य होगी उसके बाद में निर्णय होगा यानि प्रकरण का निस्तारण होने में समय लगने की सम्भावना हैं। प्रकरण अभी बहस/निर्णय में भी नियत नही हैं मगर प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी पर गलत आरोप लगाकर प्रार्थना–पत्र गलत आधारों पर पेश किया हैं।

प्रार्थी के द्वारा पेश वाद में निर्णय होने में समय लगेगा मगर प्रार्थी को यह आंशका हो गई कि उसके द्वारा साक्ष्य पेश करने के बाद में पूर्व में उसी वादग्रस्त खसरा का निर्णय व डिक्री प्रार्थी के विरूद्व हो चुका हैं व वही निर्णय प्रार्थी के वाद में भी हो सकता हैं। जबाब प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या 4 में वाद संख्या 230/2012 का विवरण दर्शाते हुवे यह अंकित किया हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के वाद के निर्णय के अनुसार प्रार्थी के नाम से खेत खसरा नम्बर 620 रकबा 1.74 है0 की खातेदारी दर्ज होने से के.सी.सी. ऋण बैंक से प्राप्त कर लिया हैं। प्रार्थी एक तरफ अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पेश वाद से सन्तुष्ट होकर ऋण भी प्राप्त कर लिया हैं व दूसरी तरफ उस निर्णय को नकार रहा हैं। प्रार्थी जानबूझकर अपनी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहता हैं व न्यायालय के द्वारा मौखिक साक्ष्य पेश करने का अवसर समाप्त करने का कहने मात्र से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया हैं।

अतिरिक्त आपत्तियों में पूर्व वाद के निर्णय का अंकन करते हुवे यह निवेदन किया हैं कि प्रार्थी द्वारा पीछले 10 वर्षों से अपनी साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं की हैं। वाद वादी सन् 2012 से विचाराधीन हैं तथा साक्ष्य वादी में चल रहा हैं। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज किया जावें।

4– प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी कमांक/कोर्ट/2025/37 दिनांक 28.05.2025 में यह निवेदन किया हैं कि प्रार्थना–पत्र में उनके विरूद्व लगाये गये आरोप बेबुनियाद एवं निराधार हैं। पूर्व प्रकरण में निर्णय विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर पारित किया गया हैं। टिप्पणी के अन्त में यह निवेदन किया हैं कि प्रार्थी उक्त पत्रावली को लेकर पीठासीन अधिकारी से निर्णय करवाने में संतुष्ठ नहीं हैं। अतः उक्त वाद को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता हैं तो न्यायालय हाजा/पीठासीन अधिकारी को कोई आपत्ति नहीं हैं।

5– प्रार्थी ने जरिऐ अभिभाषक दिनांक 09.07.2025 को प्रकरण की लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः अंकित करते हुवे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्नकिल किये जाने का निवेदन किया हैं। साथ ही यह भी निवेदन किया हैं कि अप्रार्थी ने उपरोक्त आवेदन का गलत, झूठा,सारहीन,बेबुनियाद,कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर जबाब पेश किया हैं तथा गलत तरीके से अतिरिक्त आपत्तिया लगाई गई हैं। प्रार्थी का वाद 10 वर्षो से साक्ष्य वादी में नहीं चलकर सन् 2024 से साक्ष्य वादी में चला रहा हैं एवं वाद संख्या 230/2012 के निर्णय की अपील अभी राजस्व अपील अधिकारी नागौर में विचाराधीन हैं। उपरोक्त पत्रावली अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने में उपखण्ड अधिकारी मेड़ता को भी आपत्ति नहीं हैं जिनका जबाब पत्रावली में शामिल हैं इसलिए निवेदन हैं कि राजस्व वाद

कलक्टर नागौर

संख्या 151/2012 अन्वान हरिराम बनाम ढगलाराम को अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु मुन्तकिल किया जावें।

6– अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिऐ अभिभाषक दिनांक 15.07.2025 को जबाब लिखित बहस प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह तथ्य प्रकट किये हैं कि उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान में साक्ष्य वादी में विचाराधीन हैं तथा वादी द्वारा जानबूझकर लम्बे समय से साक्ष्य पेश नहीं की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में अभी प्रकरण में साक्ष्य वादीगण की होनी हैं तथा उसके पश्चात् साक्ष्य प्रतिवादी की होगी। वर्तमान में प्रकरण अंतिम स्टेज पर नहीं हैं एवं अंतिम स्टेज पर प्रकरण आयेगा तो पीठासीन अधिकारी कौन रहेगा अभी यह तय नहीं हैं। अप्रार्थी जो कि ग्रामीण परिवेश का किसान व्यक्ति हैं,उसके प्रभाव में पीठासीन अधिकारी कैसे आ सकते हैं,प्रार्थी ने स्पष्ट नहीं किया हैं। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी किस राजनैतिक नेता के प्रभाव में हैं,यह भी स्पष्ट नहीं किया हैं। प्रकरण अभी साक्ष्य वादी की स्टेज पर हैं ऐसी स्थिति में वर्तमान में ऐसी कोई परस्थिति नहीं हैं,जिससे यह प्रतीत होता हो कि प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की संभावना हैं। प्रार्थी का आवेदन प्री–मेच्योर हैं।

प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं,जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता हो या प्रतीत होता हो कि पीठासीन अधिकारी द्वारा कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर किसी प्रकार का कोई कार्य किया जा रहा हो,यहां तक कि स्वयं वादी द्वारा जानबूझकर साक्ष्य पेश नहीं की जा रही हैं। जिससे स्पष्ट प्रकट हैं कि प्रार्थी इस प्रकरण को जानबूझकर लम्बा करना चाहता हैं। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का भारी खर्चे–हर्जे के साथ खारिज फमावाया जावें।

7– राजपैरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि प्रकरण सन् 2012 का पुराना प्रकरण होने से इस प्रकार के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किये जाने के माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्देश हैं। इसलिए इन निर्देशों के अनुसार ही प्रकरण में निष्पक्ष व विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही हैं। प्रार्थना–पत्र में पीठासीन अधिकारी के विरूद्व झूठे आरोप लगाये गये हैं। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज फरमाया जावें।

8– पत्रावली ,का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र,लिखित बहस वकील प्रार्थी एवं लिखित बहस वकील अप्रार्थी पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद संख्या 151/2012 को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने हेतु निवेदन किया हैं। राजस्व वाद संख्या 151/2012 को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करवाने का प्रथम कारण तो प्रार्थना–पत्र में यह बताया गया हैं कि प्रकरण साक्ष्य वादी में विचाराधीन हैं। वादग्रस्त भूमि वादी की स्वःअर्जित अकेले के कब्जा सुद खातेदारी की होना मौके की स्थित व राजस्व रेकर्ड से साबित हैं इसके बावजूद सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता की पीठासीन अधिकारी श्रीमती पूनम स्थानीय राजनेता के दबाब में आकर व प्रतिवादी के अनुचित दबाब व प्रभाव में आकर मिलीभगती करते हुए वाद व आवेदन को खारिज करने पर आमादा हैं। इस बिन्दू के सम्बन्ध में पत्रावली के साथ राजस्व वाद संख्या 151/2012 अन्वान हरिराम बनाम ढगलाराम के न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। यह मूल प्रकरण शहादत वादी हेतु दिनांक 23.06.2025 की तारीख पेशी पर नियत था,जिसमें तनकी कायम दिनांक 30.01.2014 को की गई हैं एवं दिनांक 24.04.2014 से प्रकरण शहादत वादी में आया हैं। प्रस्तुत प्रकरण में पहले वादी की साक्ष्य होने के बाद प्रतिवादी की साक्ष्य होनी हैं तथा उसके बाद मूल प्रकरण का निस्तारण होना हैं,इसलिए यह आक्षेप प्रार्थी का युक्ति–युक्त नहीं हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में पूर्व राजस्व वाद संख्या 230/2012 अन्वान ढगलाराम बनाम भंवरलाल में पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2024 के सम्बन्ध में तथ्य प्रकट किये हैं,जो न्यायिक निर्णय होने से तथा इस प्रकरण से सम्बन्धित नहीं होने से इस प्रकरण में इन तथ्यों का कोई महत्व नहीं हैं तथा पूर्व प्रकरण के तथ्यों को इस प्रकरण के मुन्तकिल का आधार नहीं बनाया जा सकता हैं।

कलक्टर नागौर

प्रार्थी का यह भी कथन हैं कि प्रतिवादी ढगलाराम खुले आम दावा खारिज करवांने की धमकियां दे रहे हैं तथा उनका पीठासीन अधिकारी के निवास स्थान एवं चेम्बर में आना–जाना रहता हैं। वकील अप्रार्थी ने अपने जबाब में प्रार्थी के इन कथनों को अस्वीकार किया हैं तथा पीठासीन अधिकारी ने भी अपनी टिप्पणी में इन तथ्यों को मनगढ़त व झूठा माना हैं। राजपैरोकार ने दौराने बहस यह कथन किया कि प्रकरण सन् 2012 का पुराना प्रकरण होने से इस प्रकार के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किये जाने के माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्देश हैं। इसलिए इन निर्देशों के अनुसार ही प्रकरण में निष्पक्ष व विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही हैं। इसके अलावा अप्रार्थी ढगलाराम ने किस दिनांक को,कहां, व किसके सामने दावा खारिज करवाने का कहा तथा पीठासीन अधिकारी के चेम्बर व निवास स्थान पर अप्रार्थी ढगलाराम को कब–कब आते–जाते देखा गया एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा न्यायालय में किस दिनांक को किसके साथ दावा खारिज करने की चर्चाऐं की इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट नहीं की हैं तथा केवल प्रार्थी के कथन मात्र के आधार पर प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रकरण के मुंतकिल के लिए पत्रावली में मिलीभगती से कार्यवाही नहीं होना एवं विधिक प्रकिया की पालना नहीं किये जाने का आरोप हैं। प्रकरण में किस प्रकार की मिलीभगती हैं तथा क्या विधिक प्रकिया नहीं अपनाई गई हैं का कोई खुलासा प्रार्थना–पत्र में नहीं होने से केवल लिखने मात्र से पत्रावली मुन्तकिल का यह कोई ठोस आधार नहीं माना जा सकता हैं एवं न ही ऐसा कथन राजस्व वाद संख्या 151/2012 को मुन्तकिल किये जाने का पर्याप्त आधार हैं। इस प्रकार बिना किसी ठोस कारणों के किसी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने पर प्रकरण के अन्य पक्षकारों को अपने प्रकरण की पैरवी में समय व धन भी बर्बाद होता हैं एवं इससे न्याय व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के संबंध में पर्याप्त ठोस कारण मौजूद होना आवश्यक हैं तथा उन्हीं ठोस कारणों के आधार पर ही अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण मुन्तकिल किया जा सकता हैं। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई ठोस कारण विद्यमान नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

इस सम्बन्ध में 2006–2007(सप्लीमेन्ट्री) आर.आर.टी. 435 में यह निर्धारित किया गया हैं कि " फोरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता हैं और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती हैं। बिना किसी ठोस आधारों के मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना न्याय प्रक्रिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड़ में दुरूपयोग को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिये। उच्च अदालतों को यह भी देखना चाहिये कि इस प्रकार के प्रावधानों का abuse of the process of Law नहीं हो।"

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र कोई ठोस आधारों पर नही होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मेड़ता को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर